अध्याय-III

शासन और रणनीति (योजना प्रक्रिया)

3.1 शासन और रणनीति (योजना प्रक्रिया)

छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सहभागी योजना अत्यंत आवश्यक है। अतः यह अपेक्षित है कि ग्राम पंचायतों को समुदाय के लिए अधोसंरचना निर्माण हेतु अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पहचान करनी चाहिए, उन्हें प्रस्तावों के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए तथा ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करनी चाहिए। महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की नीतिगत रूपरेखा में बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा शक्तियों का विकेंद्रीकरण संस्थागत रूप से किया गया है।

3.2 बेसलाइन सर्वेक्षण का संचालन न करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 6.2 के अनुसार, ग्राम पंचायत में रोजगार की मांग की मात्रा तथा समय का मूल्यांकन करने हेतु बेसलाइन सर्वेक्षण तैयार करने के लिए प्रत्येक जॉब कार्ड धारकों का सर्वेक्षण ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से किया जाना है। प्रत्येक राज्य को सर्वेक्षण की रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों को सूचीबद्ध करना होता है। इसके अतिरिक्त, आजीविका के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पाँच वर्ष में पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह बेसलाइन मूल्यांकन ग्राम पंचायत तथा जिले की विकास योजनाओं[1] का एक अनिवार्य घटक है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि सर्वेक्षण कराने हेतु रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए राज्य अथवा जिला स्तर पर किसी भी संस्था को सूचीबद्ध नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा अवधि 2019-20 से 2023-24 के दौरान चयनित छः जिलों के जिलों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में बेसलाइन सर्वेक्षण कराए जाने को सुनिश्चित करने के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। सर्वेक्षण के अभाव में जॉब कार्ड धारकों द्वारा कार्य की मांग की मात्रा तथा रोजगार की मांग के समय का सही आकलन नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरुप जमीनी स्तर पर एक वास्तविक विकास योजना तैयार नहीं की जा सकी।

शासन ने कहा (जुलाई 2025) कि सभी इच्छुक परिवारों का पहले ही पंजीकरण किया जा चुका था, अतः घर-घर सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, विशेषज्ञ संस्थानों के सूचीबद्ध किए जाने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

---

[1] यह मनरेगा योजना के लिए एक वार्षिक योजना है जिसे ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया जाता है।

पंजीकरण के संबंध में शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रामीण आजीविका के उभरती एवं बदलती प्रवृत्ति, रोजगार की मांग के समय तथा मात्रा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है, जो वास्तविक योजनाओं एवं श्रम बजट तैयार करने के लिए आवश्यक है।

3.3 परियोजना की शेल्फ एवं श्रम बजट तैयार करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 6 तथा वर्ष 2019-24 के लिए जारी वार्षिक मास्टर परिपत्रों में यह परिकल्पित किया गया है कि परियोजनाओं की शेल्फ की पहचान तथा श्रम बजट के अनुमानों की तैयारी एक आवश्यक वार्षिक कार्य योजना दस्तावेज है जिसमें योजना निर्माण, अनुमोदन, वित्तपोषण तथा परियोजना क्रियान्वयन की प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं तथा इसमें कार्य की अनुमानित मांग की मात्रा एवं कार्यों की समय-सारणी का विवरण शामिल होता है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना को जनपद स्तर पर समेकन हेतु जनपद पंचायत को प्रस्तुत करती है।

(i) ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन

मनरेगा अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की संस्तुतियों के अनुसार लिए गए कार्यों की पहचान, निष्पादन तथा पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी। साथ ही, वार्षिक मास्टर परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि जिला योजना समिति को जिले की प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा परियोजनाओं की शेल्फ के अनुमोदन के लिए, योजना निर्माण से अनुमोदन तक बॉटम-अप दृष्टिकोण के सिद्धांत का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।

ग्राम सभा कार्यवाही पंजी में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों की सूची दर्शाई जाती है। लेखापरीक्षा द्वारा सूचना प्रबंधन प्रणाली के प्रतिवेदन (आर.6.12) की जांच में यह पाया गया कि कई कार्यों को ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना ही वार्षिक कार्य योजनाओं तथा वार्षिक विकास योजनाओं में सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांच किये गए जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों तथा वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्यों का विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: चयनित ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित एवं वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्यों का विवरण

चयनित जिला का नाम	कुल स्वीकृत कार्य (सूचना प्रबंधन प्रणाली के प्रतिवेदन आर.6.12 के अनुसार)	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य जिसे वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य जिसे वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया
बलरामपुर	1535	95	106
दंतेवाड़ा	4338	273	491
जशपुर	2777	709	171
रायगढ़	1285	444	423
रायपुर	1129	128	93
सरगुजा	1650	210	433
योग	**12714**	**1859**	**1717**

(स्रोत: सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

नमूना-जांच किये गए 48 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-24 के दौरान वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत कुल 12,714 कार्यों में से केवल 1,717 कार्यों (14 प्रतिशत) को ही ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त थी, इस प्रकार 10,997 कार्य (86 प्रतिशत) संबंधित ग्राम सभाओं की स्वीकृति के बिना ही संपादित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 1,859 कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था। नमूना-जांच किये गए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों के विश्लेषण में यह भी पाया गया कि 19 ग्राम पंचायतों में 90 प्रतिशत से अधिक कार्य ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना निष्पादित किए गए, जबकि 24 ग्राम पंचायतों में 50 से 80 प्रतिशत तक कार्य बिना ग्राम सभा की स्वीकृति के किए गए। एक ग्राम पंचायत (पुसल्दा, रायगढ़) में 23 प्रतिशत कार्य ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना कराए गए।

नमूना-जांच किये गए जिलों में कुल 336 कार्यों में से केवल 83 कार्यों को ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लगभग 75 प्रतिशत कार्य संबंधित ग्राम सभाओं की अपेक्षित स्वीकृति के बिना ही निष्पादित किए गए।

भारत सरकार द्वारा श्रम बजट की स्वीकृति के पश्चात जिला के लक्ष्यों को आनुपातिक रूप से तदर्थ आधार पर घटा दिया गया। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों को शामिल करने अथवा हटाने का काम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत अथवा जिला स्तर पर ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना ही किया गया था। साथ ही, वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट में कार्यों को सम्मिलित करने हेतु किसी प्रकार का औचित्य अथवा आवश्यकता आकलन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया, जो योजना एवं श्रम बजट तैयार करने में विभाग के मनमाने/तदर्थ दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार, अनिवार्य योजना प्रक्रिया का अनुपालन न होने से ग्राम सभा की भूमिका कमजोर हुई तथा योजना निर्माण में बॉटम-अप दृष्टिकोण की अनदेखी की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों ने उत्तर दिया कि ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया था। तथापि, ग्राम पंचायतों एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त कार्यों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया था। आगे सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों को प्रस्तुत किया गया था तथा समेकित योजनाओं को भारत सरकार की सशक्त समिति को अनुमोदन हेतु भेजा गया था। भारत सरकार के निर्देशानुसार वार्षिक कार्य योजना/श्रम बजट तैयार करने हेतु ग्राम पंचायतों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित न किए गए कार्य भी ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्य योजना में कार्यों को विभिन्न स्तरों पर ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना जोड़ा एवं घटाया गया था, जो यह दर्शाता है कि अनिवार्य बॉटम-अप योजना प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जिससे सामुदायिक सहभागिता कमजोर हुई।

(ii) परियोजनाओं की शेल्फ एवं श्रम बजट का प्रस्तुत करना

श्रम बजट राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाने वाला एक दस्तावेज है, जिसमें योजना के अंतर्गत सृजित किए जाने वाले कुल मानव-दिवसों[2] को अनुमान लगाया जाता है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है तथा तत्पश्चात ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति के समक्ष रखा जाता है। समिति संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के साथ इन अनुमानों पर चर्चा करती है एवं तत्पश्चात राज्य के लिए अंतिम श्रम बजट जिसे मानव-दिवसों में व्यक्त किया जाता है, को अंतिम रूप दिया जाता है।

मनरेगा के अनुच्छेद 7 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार पंचायत के प्रत्येक स्तर पर एक व्यवस्थित एवं सहभागी योजना प्रक्रिया का प्रावधान है। इसके अलावे, वार्षिक कार्य योजना में यह भी प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों की पहचान कर उन्हें क्रमशः निर्वाचित निकायों अर्थात ग्राम सभा, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। भारत सरकार ने (सितंबर 2018) श्रम बजट की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण हेतु प्रत्येक स्तर के लिए समय-सीमा निर्धारित की है, जिसे **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1 परियोजनाओं की शेल्फ एवं श्रम बजट के प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा

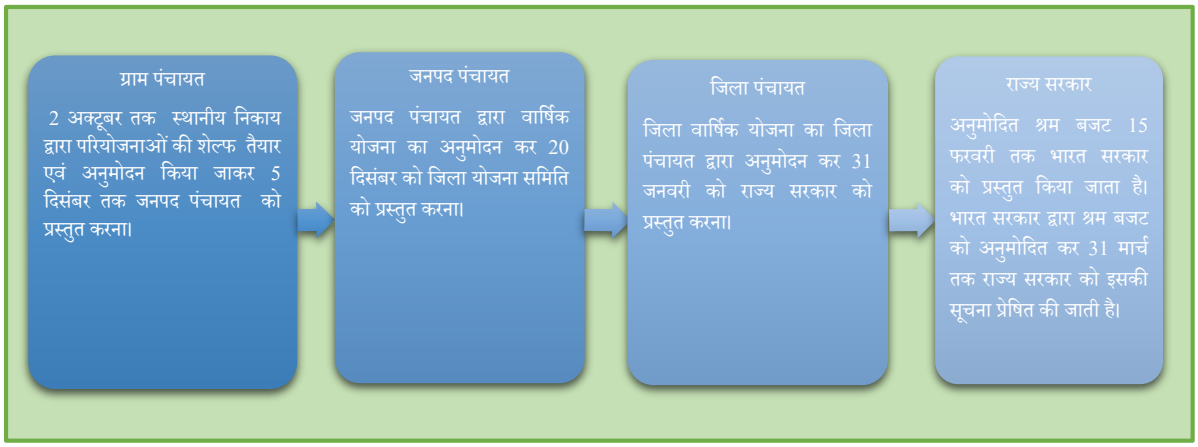

नमूना-जांच किये गए जिलों में अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- वार्षिक विकास योजनाएँ, जो कि श्रम बजट का आधार होती हैं, चयनित 48 ग्राम पंचायतों में से किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा तैयार नहीं की गईं थी। इसके अतिरिक्त, संबंधित ग्राम सभाओं से श्रम बजट की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी।
- जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को 20 दिसंबर तक श्रम बजट जिला योजना समितियों को प्रस्तुत करना होता है। तथापि, चयनित 12 जनपद पंचायतों में जिला योजना समन्वयक को प्रस्तुतीकरण की तिथि का निर्धारण करने हेतु कोई

[2] मानव-दिवस एक मजदूर को प्रदान किये गए रोजगार के एक दिन को प्रदर्शित करने वाले इकाई को संदर्भित करता है।

अभिलेख नहीं पाए गए। साथ ही, जनपद पंचायत की निर्वाचित संस्था से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भी श्रम बजट प्रस्तुत नहीं किया गया।

- चयनित जिला योजना समन्वयक द्वारा श्रम बजट लगभग निर्धारित समय-सीमा में राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, ये श्रम बजट अनिवार्य रूप से निर्वाचित संस्था, अर्थात जिला पंचायत, की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही अग्रेषित कर दिए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चयनित जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा चयनित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने कहा (अक्टूबर 2024) कि भविष्य में ऐसी योजनाएँ तैयार की जायेंगी।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि योजना बॉटम-अप दृष्टिकोण के अनुसार तैयार की गई थी तथा इस संबंध में समय-समय पर जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा योजना तैयार किए जाने तथा निर्वाचित निकायों द्वारा श्रम बजट की स्वीकृति से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए।

3.4 अनुमानित और प्राप्त मानव-दिवसों में अंतर

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 6.1.3 में यह प्रावधान है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक को जिले में प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा चयनित परियोजनाओं की शेल्फ की योजना बनाने से लेकर अनुमोदन तक बॉटम-अप दृष्टिकोण के सिद्धांत का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा श्रम बजट के अनुसार स्वीकृत मानव-दिवसों के अनुमोदन के पश्चात, राज्य सरकार ने लक्ष्यों में तदनुसार संशोधन किया। वर्ष 2019-24 के दौरान, स्वीकृत श्रम बजट तथा वास्तविक रूप से सृजित मानव-दिवसों का विवरण **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: अनुमानित बनाम वास्तविक मानव दिवसों का रुझान

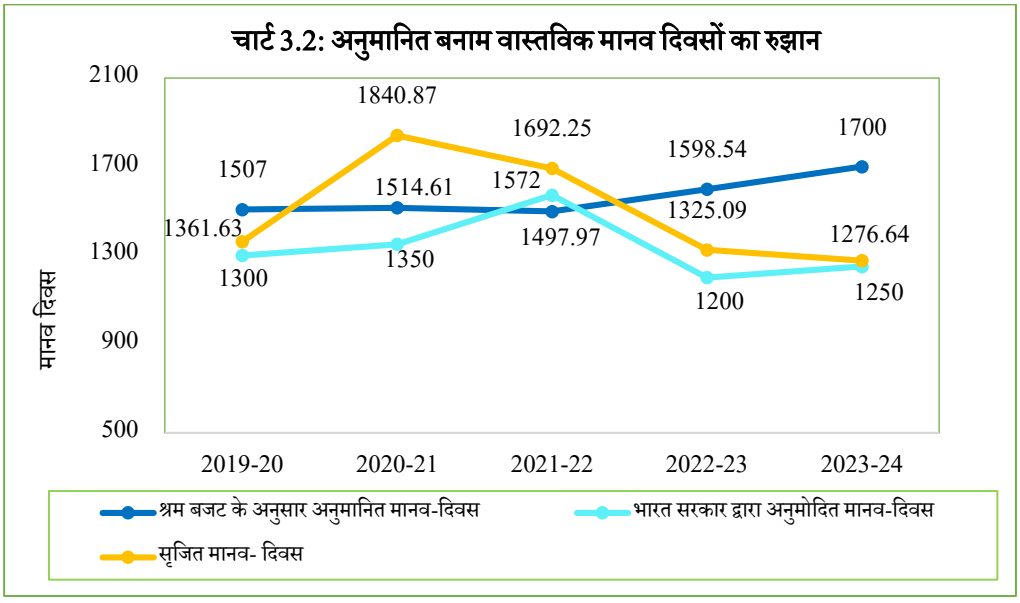

(स्रोत: छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य द्वारा श्रम बजट में प्रस्तावित मानव-दिवसों और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानव-दिवसों के बीच उल्लेखनीय विसंगति पाई गई। वर्ष 2023-24 में इसमें विशेष रूप से भारी कटौती देखी गई, जहाँ प्रस्तावित 1,700 लाख मानव-दिवसों के स्थान पर प्रारंभ में केवल 700 लाख मानव-दिवसों की ही स्वीकृति दी गई, यद्यपि बाद में इसे संशोधित कर 1,250 लाख मानव-दिवस कर दिया गया था।
- वर्ष 2019-20, 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान वास्तविक रूप से सृजित मानव-दिवस बजट में अनुमानित मानव-दिवसों से कम रहे, जिसमें वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक कमी (423.36 लाख मानव-दिवस अथवा 25 प्रतिशत) दर्ज की गई थी। जबकि वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान वास्तविक रूप से सृजित मानव-दिवस बजट में अनुमानित मानव-दिवसों से अधिक रहे। सभी पाँच वर्षों में वास्तविक रूप से सृजित मानव-दिवस, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानव-दिवसों से अधिक पाए गए।

यह स्थिति ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य की वास्तविक मांग का आकलन करने हेतु श्रम बजट की तैयारी से पूर्व ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण न किए जाने के कारण उत्पन्न हुई। इस प्रकार, वास्तविक तथा अनुमानित मानव-दिवसों के बीच विचलन मांग के आकलन की प्रक्रिया में खामियों तथा योजना निर्माण में विसंगतियों को उजागर करता है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि भारत सरकार द्वारा श्रम बजट का वार्षिक अनुमोदन राज्य के अनुमानों के आधार पर किया गया तथा कार्य प्रगति के अनुसार संशोधन भी स्वीकृत किए गए। मजदूरी का भुगतान वास्तविक रूप से सृजित मानव-दिवसों के आधार पर किया गया। मनरेगा एक मांग-आधारित योजना है तथा पंजीकृत परिवारों को उनकी मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया।

मूल्यांकन की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के कारण भारत सरकार एवं राज्य के बजट में मनरेगा हेतु निधियों का अपर्याप्त प्रावधान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप निधि जारी करने एवं श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में विलंब हुआ।

3.5 मानव संसाधन प्रबंधन

मनरेगा की सफलता की कुंजी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पर्याप्त मानव संसाधनों का प्रावधान है। मनरेगा अधिनियम की धारा 18 में राज्य सरकार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यकतानुसार कर्मचारी एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राज्य स्तर पर व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु संविदा आधार पर सहायक कर्मचारी भी तैनात किया जा सकता है। मार्च 2024 तक स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुछ प्रमुख पदों की उपलब्धता का विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है तथा उसका सारांश **तालिका 3.2** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.2: कार्यान्वयन एजेंसी में जनशक्ति की तैनाती

कार्यान्वयन स्तर	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त (प्रतिशत)
राज्य स्तर	66	43	23 (35)
जिला स्तर	408	258	150 (37)
जनपद स्तर	4018	2676	1342 (33)
ग्रामीण स्तर	10862	9159	1703 (16)
कुल	**15354**	**12136**	**3218 (21)**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यक्रम अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रोग्रामर, लेखा अधिकारी/लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक आदि विभिन्न श्रेणियों के कुल 15,354 पद स्वीकृत थे, जिनके विरुद्ध 12,136 पद भरे गए थे, जबकि 3,218 पद (21 प्रतिशत) रिक्त पड़े थे। राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कुल कमी क्रमशः 35 प्रतिशत, 37 प्रतिशत, 33 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत थी।

आगे , नमूना-जांच किये गए जिलों में पदों की कमी 25 प्रतिशत से 54 प्रतिशत के बीच रही, जिससे योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि प्रशासनिक मद के अंतर्गत उपलब्ध निधियों तथा सक्रिय जॉब कार्डों के अनुपात में मानव संसाधनों पर होने वाले व्यय के आधार पर पदों के युक्तिकरण हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

3.5.1 तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना न किया जाना

मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र 2020-21 की उपधारा 7.12.5(जी) के अनुसार, जिन राज्यों में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद पर वार्षिक व्यय ₹1,000 करोड़ से अधिक है, उन्हें मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य है। यह प्रकोष्ठ जिला एवं जनपद स्तरों पर अनिवार्य सहायक अभियंताओं के साथ छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के डिज़ाइन, गुणवत्ता तथा निगरानी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा कोई पृथक से समर्पित तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया गया था। राज्य-स्तरीय सशक्त समिति ने (अप्रैल 2021) तकनीकी प्रकोष्ठ के गठन हेतु 23 पदों के सृजन का प्रस्ताव किया था। तथापि, 18 पदों[3] के सृजन का प्रस्ताव (जून 2022) में सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति अक्टूबर 2024 तक लंबित थी। इस बीच, राज्य स्तर पर, विभाग द्वारा (मार्च 2022) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से एक मुख्य अभियंता को अतिरिक्त प्रभार में तथा एक अधीक्षण अभियंता को पहले से स्वीकृत पद के विरुद्ध पदस्थ किया गया था।

[3] एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता, आठ अभियंता एवं आठ अन्य कर्मचारी

भारत सरकार के बार-बार निर्देशों के बावजूद, वर्तमान में केवल दो अभियंता ही पूरे राज्य में योजना निर्माण एवं निगरानी का कार्य देख रहे हैं, जो मनरेगा के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग ₹3,400 करोड़ का व्यय करते हैं। अनिवार्य तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना न किए जाने से विभिन्न स्तरों पर कार्यों की गुणवत्ता एवं निगरानी प्रभावित हो सकती है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि मुख्य अभियंता के अधीन एक तकनीकी प्रकोष्ठ कार्यरत है, जिसमें एक अधीक्षण अभियंता तथा छह तकनीकी सहायक कम की देखभाल के लिए प्रतिनियुक्त हैं।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अपर्याप्त मानव संसाधनों के साथ कार्यरत यह तकनीकी प्रकोष्ठ विभिन्न स्तरों पर कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी हेतु अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका, जैसा कि आगे की कंडिका 6.5.1 में चर्चा की गई है।

3.5.2 ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 4.1 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत स्तर पर समर्पित कर्मी, अर्थात ग्राम रोजगार सहायक की आवश्यकता होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक ग्राम रोजगार सहायक तैनात किया जाए, सिवाय उन ग्राम पंचायतों के जहाँ मनरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग लगभग नगण्य हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में ग्राम रोजगार सहायक के कुल 10,862 स्वीकृत पद थे, लेकिन मार्च 2024 तक केवल 9,159 ग्राम रोजगार सहायक ही तैनात किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,703 पद (16 प्रतिशत) की कमी रही। इसी प्रकार, नमूना-जांच किये गए 12 जनपद पंचायतों में अक्टूबर 2024 तक ग्राम रोजगार सहायक के 872 स्वीकृत पदों में से 221 पद (26 प्रतिशत) रिक्त थे। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों के निष्पादन पर ग्राम रोजगार सहायक की कम तैनाती से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों का निष्पादन प्रभावित होगा।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ने के कारण प्रत्येक पंचायत में सक्रिय जॉब कार्डों की संख्या अनुपातिक रूप से कम हो गई है, और 33.21 लाख सक्रिय जॉब कार्डों में से प्रत्येक 393 कार्ड के लिए एक ग्राम रोजगार सहायक होने के कारण कोई कमी नहीं है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक को प्रत्येक ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत पदों पर तैनात किया जाना चाहिए, न कि सक्रिय जॉब कार्डों के आधार पर।

3.6 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुसार, राज्यों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण प्रभाग तथा इसके अनुरूप जिला इकाइयों की स्थापना करना आवश्यक है।

आयुक्त, मनरेगा कार्यालय में अभिलेखों की जांच (अक्टूबर 2024) की जांच से पता चला कि वर्ष 2019-24 की अवधि में नमूना-जांच किये गए छः जिलों में से किसी भी जिले में जिला मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण इकाई की स्थापना नहीं की गई थी, जिसके कारण जिला स्तर पर कोई प्रशिक्षण योजना तैयार नहीं की गई। मनरेगा योजना के पदाधिकारियों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य में स्थापित (जुलाई 2011) पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तथापि, मनरेगा योजना से संबंधित सभी प्रशिक्षण केवल राज्य स्तर पर, निमोरा, रायपुर में ही दिए गए थे। विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: 2019-24 के दौरान आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण

वर्ष	सम्मिलित हितधारक	प्रशिक्षण के लिए नामांकित प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षुओं की उपस्थिति में कमी (प्रतिशत)
2019-20	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2020-21	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2021-22	तकनीकी सहायक, अभियंता, प्रोग्रामर, कार्यक्रम अधिकारी/सहायक कार्यक्रम अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राम रोजगार सहायक, लेखापाल, बेयरफुट तकनीशियन, मेट्स, क्लस्टर सुविधा परियोजना तकनीकी विशेषज्ञ, आदि।	1,67,066	8,702	95
2022-23		1,09,443	269	99.86
2023-24		16,879	360	97.83
कुल		**2,93,388**	**9,331**	**96.82**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े और लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में न तो कोई प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया था और न ही राज्य प्रशिक्षण केंद्र, निमोरा, रायपुर में कोई प्रशिक्षण दिया गया था। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान 2,93,388 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 97 प्रतिशत की कमी के साथ केवल 9,331 प्रशिक्षणार्थियों को ही प्रशिक्षण दिया गया था।

चयनित छः जिलों में से दो जिलों, अर्थात रायगढ़ एवं सरगुजा में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैं। लेखापरीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-2024 की अवधि में इन संस्थानों में न तो कोई प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया था, न ही मनरेगा योजना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि मनरेगा कर्मचारियों को नामित संस्थानों एवं मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से निरंतर तथा आवश्यकता-आधारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना नहीं की गई तथा मनरेगा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

3.7 रोजगार दिवस का आयोजन

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.3 (i) के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत को कार्य हेतु आवेदन, सूचना एवं संबंधित गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए महीने में कम से कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन करना आवश्यक था। चयनित जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान आयोजित रोजगार दिवसों की स्थिति **तालिका 3.4** में दी गई है।

तालिका 3.4: चयनित छः जिलों में आयोजित किये गये रोजगार दिवस

जिला	आयोजित किए जाने वाले रोजगार दिवसों की संख्या	आयोजित रोजगार दिवस की संख्या	रोजगार दिवस आयोजित किया गया (प्रतिशत)
दंतेवाड़ा	8,352	1,560	18.68
बलरामपुर	28,080	24,086	88.80
रायपुर	24,880	16,400	65.92
रायगढ़	43,584	34,296	78.69
जशपुर	26,436	15,780	59.69
सरगुजा	25,380	18,999	68.34
योग	**1,56,712**	**1,11,121**	**70.90**

(स्रोतः चयनित जिलों के जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

लेखापरीक्षा में यह उजागर हुआ कि वर्ष 2019-24 के दौरान रोजगार दिवस के आयोजन में उल्लेखनीय कमी रही। दंतेवाड़ा जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान एक भी रोजगार दिवस आयोजित नहीं किया गया। नमूना-जांच किये गए जिलों में समग्र प्रदर्शन 19 प्रतिशत (दंतेवाड़ा) से 79 प्रतिशत (रायगढ़) के बीच रहा। नमूना-जांच किये गए 48 ग्राम पंचायतों में आवश्यक 2,856 रोजगार दिवसों के मुकाबले 28 से 58 प्रतिशत तक की कमी के साथ केवल 1,699 (59 प्रतिशत) रोजगार दिवस ही आयोजित हुए। इसके अतिरिक्त, रोजगार दिवसों से संबंधित अभिलेख एवं प्रतिवेदन या तो उपलब्ध नहीं थे अथवा अत्यंत खराब पाए गए।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने, रोजगार की मांग प्राप्त करने तथा श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करने जैसी गतिविधियाँ के लिए किया जा रहा है। रोजगार दिवस के दौरान की गई गतिविधियों के लिए एक पंजी का भी संधारण किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमी के दृष्टिगत, सरकार को दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडो के अनुसार रोजगार दिवस का आयोजन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।